U;k;ky; fMohtuy dfe'uj] tk/kij
ihBklhu vf/kdkjh ¼ Mk0 lfer 'kek] vkbZ-,-,l-

luokbl dk vf/kdkj iFke vihy l[;k 02@2020

vihykUV	बनाम	**jLikMUVl**
ईश्वरसिंह पुत्र रणजीतसिंह निवासी–ग्राम थुम्बा, पोस्ट–पादरली, वाया–गुडा बालोतान, तहसील आहोर।		लोक सुनवाई अधिकारी एवं अति0 संभागीय आयुक्त, जोधपुर, संभागीय आयुक्त कार्यालय जोधपुर।

राजस्थान सुनवाई का अधिकार, 2012 के तहत प्रथम अपील

mifLFkfr¼&&

1. श्री ईश्वर सिंह अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।

fu.k;

fnukd flrEcj]2020

1. अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील में कार्यालय हाजा के लोक सुनवाई अधिकारी के द्वारा उनकी ओर से पूर्व में दिनांक 02.07.2020 को प्रस्तुत किये गये परिवाद का निर्धारित समय सीमा में निस्तारण नहीं करने पर यह प्रथम अपील दिनांक 14.08.2020 को प्रेषित की गई है।
2. उक्त अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया एवं लोक सुनवाई अधिकारी (अति0 संभागीय आयुक्त) कार्यालय हाजा से इस सम्बन्ध में उनकी मूल पत्रावली तलब की गई एवं अपील पर टिप्पणी प्राप्त की गई।
3. दिनांक 08.09.2020 को अपीलान्ट को अपील पर व्यक्तिशः सुना गया। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के द्वारा यह कथन किया गया कि उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद में न्यायालय डिवीजनल कमिशनर, जोधपुर के द्वारा अपील संख्या 01/2018 में पारित विनिश्चिय दिनांक 13.11.2018/14.11.2018 में अधिशाषी अभियन्ता, जवाई नगर खण्ड सुमेरपुर एवं सहायक अभियन्ता जवाई नहर उपखण्ड सुमेरपुर को निर्देशित किया गया था कि वे अधीक्षण अभियन्ता, वृत

पाली के निर्णय दिनांक 13.02.2013 की तकनीकी व भौतिक रूप से पालना यथाशीघ्र करें।

4. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि कि परिवाद में संभागीय आयुक्त कार्यालय द्वारा उक्त विनिश्चिय दिनांक 13.11.2018 के निर्णय में विधि के नियमों को ताक पर रखकर अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत पाली के पत्रांक 12670 दिनांक 4.11.2019 की अनुशंषा पर कार्यालय संभागीय आयुक्त के पत्रांक 984 दिनांक 05.11.2019 के द्वारा निर्देशित करते हुए सिंचाई कार्यक्रम के बीच राज0 सिंचाई प्रबन्ध में कृषकों की सहभागिता अधिनियम 2000 नियम 2002 की धारा 17 की अवहेलना कर व विनिश्चिय की अवमानना करते हुए बाराबंदी में अपात्र भूमि को सिंचाई बाराबन्दी में शामिल किया गया, जो विधि के अनुरूप नहीं होने से न्याय संगत नहीं है। अपीलान्ट के उक्त परिवाद के सम्बन्ध में लोक सुनवाई अधिकारी (अति0 संभागीय आयुक्त) के द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने पर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है अतः न्यायालय संभागीय आयुक्त के विनिश्चिय दिनांक 13.11.2018 की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावे एवं विभागीय क्रियान्वयन के लिये जवाबदेही निर्धारित करावें।

5. अपीलान्ट की उक्त अपील पर लोक सुनवाई अधिकारी, कार्यालय हाजा से प्राप्त टिप्पणी दिनांक 31.08.2020 का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार लोक सुनवाई अधिकारी ने अपीलान्ट/परिवादी के प्रार्थना पत्र संख्या 01/2020 को दर्ज किया जाकर सम्बन्धित सामान्य शाखा एवं न्यायालय शाखा से टिप्पणी ली जाना एवं उक्त प्राप्त टिप्पणी अनुसार परिवादी का कार्यालय के पत्र क्रमांक 30 दिनांक 11.08.2020 से प्रकरण का निस्तारण करते हुए जरिये रजिस्टर्ड डाक से सूचित किया जाना अवगत कराया। उक्त पत्र अनुसार अपीलान्ट/परिवादी को यह लिखा गया है कि ग्रामवासी उखरडा की ओर से कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन विभाग वृत पाली से तथ्यात्मक टिप्पणी दिनांक 4.11.2019 को ली गई जिसमें उनके द्वारा ''उखरडा ग्राम के बारानी किस्म की भूमि के अलावा भी जवाई बॉध कमाण्ड क्षेत्र की बाराबन्दी में कुछ बारानी किस्म की भूमि विगत वषों से लगातार सिंचित होना बताया एवं जवाई बॉध जल वितरण समिति की बैठक दिनांक 11.10.2019 में वर्ष 2017–18 की बाराबन्दी को आधार मानते हुए सिंचाई सुविधा दिया जाना निश्चित

हुआ। उसी अनुसरण में संगम अध्यक्षों की बैठक दिनांक 16.10.2019 में भी वर्ष 2017–18 की बाराबन्दी को आधार मानते हुए इस वर्ष भी जल वितरण करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। इन परिस्थितियों के मध्यनजर उखरडा ग्राम के पूर्व में सिंचित हो रहे बारानी किस्म की भूमि के रकबे को इस वर्ष की बाराबंदी में शामिल करते करना उचित बताया।''

6. अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत पाली के उक्त प्रस्ताव अनुसार कार्यालय हाजा की ओर से पत्र क्रमांक 984 दिनांक 5.11.2019 को लिखा गया कि जल वितरण समिति की बैठक दिनांक 11.10.2019 में लिये गये निर्णय अनुसार वर्ष 2017–18 की बाराबन्दी को आधार मानकर उखरडा गांव की बारानी किस्म की भूमि को भी पूर्व की भांति इस वर्ष भी जल वितरण किया जाना सुनिश्चित करावें। कार्यालय हाजा के उक्त पत्र अनुसार जल वितरण समिति की बैठक दिनांक 11.10.2019 में लिये गये निर्णय की क्रियान्विति के क्रम में अग्रिम कार्यवाही करे यानि उरखडा ग्राम की बारानी किस्म की भूमि को जल वितरण किया जाना सुनिश्चित करें, ऐसे में कार्यालय संभागीय आयुक्त की ओर से अलग से किसी प्रकार का नया निर्णय अथवा निर्देश जारी नहीं किया गया है। अतः कार्यालय संभागीय आयुक्त की ओर से उपरोक्त कार्यवाही त्रृटिपूर्ण नहीं होने से आप परिवादी का परिवाद खारिज किया जाता है।

7. हमने अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील, पूर्व में प्रस्तुत परिवाद एवं लोक सुनवाई अधिकारी की टिप्पणी, अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत पाली को जारी पत्र दिनांक 5.11.2019, अन्य उपलब्ध दस्तावेजों इत्यादि का गहनता से अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। जिससे यह दृष्टिगत होता है कि अपीलान्ट/परिवादी के की ओर से उठाये गये बिन्दुओं के अनुसार न्यायालय हाजा की ओर से अपील संख्या 01/2018 ईश्वरसिंह बनाम प्रथम अपीलीय अधिकारी (अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई वृत पाली) में पारित विनिश्चय दिनांक 13.11.18/14.11.2018 की अक्षरशः पालना करवाये जाने का कथन किया एवं साथ ही कार्यालय संभागीय आयुक्त की ओर से अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन विभाग वृत पाली को जारी पत्र क्रमांक 984 दिनांक 5.11.2019 को सिंचाई कार्यक्रम के बीच राज0 सिंचाई प्रबन्ध में कृषकां की सहभागिता अधिनियम 2000 नियम 2002 की धारा 17 के

तहत विधि के अनुरूप नहीं होने से न्याय संगत नहीं होना बताया और विनिश्चिय की अवमानना होना बताया है।

8. उपरोक्त सभी तथ्यों पर गौर करने के उपरान्त अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील के सम्बन्ध में हमारा विनम्र मत यह है कि अपीलान्ट की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा अपीलान्ट की अपील के प्रथम बिन्दु अनुसार न्यायालय डिवीजनल कमिशनर, जोधपुर के अपील संख्या 01/2018 में पारित विनिश्चिय की पूर्णतः पालना करने हेतु अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, वृत पाली को पुनः निर्देशित किया जाता है।

9. अपीलान्ट की अपील के द्वितीय बिन्दु अनुसार कार्यालय संभागीय आयुक्त की ओर से जारी पत्र दिनांक 984 दिनांक 5.11.2019 में अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन विभाग वृत पाली को जल वितरण समिति की बैठक दिनांक 11.10.2019 एवं संगम अध्यक्षों की बैठक दिनांक 16.10.2019 में सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के क्रम में ही ग्राम उखरडा की बारानी भूमि को पूर्व वर्ष 2017–2018 के अनुसार इस वर्ष में सिंचाई हेतु पानी दिये जाने का लिखा गया है, संभागीय आयुक्त कार्यालय की ओर से अलग से किसी प्रकार के निर्देश व निर्णय नहीं लिये गये है और वह विनिश्चिय दिनांक 13.11.2018 की अवमानना किया जाना भी नहीं माना जा सकता है क्योंकि उक्त विनिश्चिय में अधीक्षण अभियन्ता के निर्णय दिनांक 13.2.2013 में तख्तगढ वितरिका के टेल आरडी 70600 से सिंचित क्षेत्र केवल नहरी प्रथम व नहरी द्वितीय ही रखे जाने और उसी अनुरूप टेल कलस्टर की डिजाइन संशोधित किये जाने का अभिलेखों में पालना कर लिया जाना परन्तु तकनीकी व भौतिक पालना नहीं हो पाने पर उक्त भौतिक व तकनीकी पालना करने हेतु अधीशाषी अभियन्ता, जवाई नहर खण्ड सुमेरपुर व सहायक अभियन्ता उपखण्ड सुमेरपुर को निर्देश दिये गये है। इस प्रकार यह बिन्दु अस्वीकार किया जाता है। अपील उपरोक्तानुसार निर्णित होकर नम्बर से कम की जावें। निर्णय आज दिनांक सितम्बर, 2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

¼Mk0 lfer 'kek½
fMoh tuy dfe'uj]
tks/kiqj